

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरौही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस

फाईनल डिक्री

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1- मेती पुत्री भीखाजी पत्नि रावताजी नि.हालीवाडा		1- शंभूसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत
2- टिपु पुत्री भीखाजी पत्नि जुहारजी नि.चडुआल		2- कल्याणसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत
3- पोसु पुत्री भीखाजी पत्नि मंछारामजी नि. नून		3- दलपतसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत
4- पंकु पुत्री भीखाजी पत्नि गोविन्दजी नि.चडुआल		4- राजूसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत
5- शान्ति पुत्री भीखाजी पत्नि देवाजी नि.मोहबतनगर		सभी आयु व्यस्क निवासीयान नून
6- सती पुत्री भीखाजी पत्नि मनाजी नि.नून		5- राकेश पुत्र खीमाराम पुरोहित
7- सोथी बेवा भीखाजी नि. नून		6- हिमा पुत्र खीमाराम पुरोहित
सभी जातियान पुरोहित		7- कान्ति पुत्र खीमाराम पुरोहित
		8- लक्ष्मी बेवा खीमाराम पुरोहित
		9- ओटाराम पुत्र सुरताजी पुरोहित
		10- चिनाराम पुत्र सुरताजी पुरोहित
		11- कन्हैयालाल पुत्र सुरताजी पुरोहित
		सभी निवासीयान नून
		12- छगनबेन पुत्री सुरताजी पुरोहित नि.बावली
		13- लसुदेवी बेवा सुरताजी पुरोहित
		14- हंसा पुत्र धनाजी पुरोहित
		15- वगता पुत्र धनाजी पुरोहित
		16- शंकर पुत्र गलबाजी पुरोहित
		17- काना पुत्र गलबाजी पुरोहित
		18- जामता पुत्र गलबाजी पुरोहित
		19- छगन पुत्र खंगारजी पुरोहित
		20- रमेश पुत्र खंगारजी पुरोहित
		21- प्रकाश पुत्र खंगारजी पुरोहित
		22- जगदीश पुत्र खंगारजी पुरोहित
		23- सजनाबाई बेवा खंगारजी पुरोहित
		24- कपूरा पुत्र सवाजी पुरोहित
		25- बाबू पुत्र सवाजी पुरोहित
		26- सोना पुत्र सवाजी पुरोहित
		27- काना पुत्र सवाजी पुरोहित
		28- वीसा पुत्र सवाजी पुरोहित
		29- रूपाराम पुत्र पुनमाजी पुरोहित
		30- शान्तिलाल पुत्र हंसाजी पुरोहित
		सभी निवासीयान नून
		31- स्टेट जरिये तहसीलदार सिरौही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

राजस्व वाद सं 24/2010

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30-5-2011 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री व पालना मे तहसीलदार सिरौही ने जरिये पत्रांक राजस्व/2015/476 दिनांक 7-4-2015 के संलग्न वांछित बंटव



प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस पेश किया। दिनांक 9-6-2015 को राज्य सरकार के आदेशनुसार पक्षकारान को शीघ्र न्याय प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र फुंगणी पर मंगाने पर पेश हुई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्तागण को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने पर प्रतिवादी दलपतसिंह व कल्याणसिंह उपस्थित हुये। जिन्हे तहसीलदार सिरौही से प्राप्त उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन कराया गया तो उन्होने सही होना स्वीकार किया तथा बंटवाड प्रस्ताव के आधार पर फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया। सभी वादीगण व शेष प्रतिवादीगण दौरान सुनवाई रा.लो.अ. केम्प फुंगणी मे दिनांक 9-6-2015 को लोक अदालत के समय तक हाजिर नही होने से इनके पक्ष को सुनने का अवसर बंद किया गया था। यह पत्रावली पुनः दिनांक 30-5-2018 को रा.लो.अ. केम्प फुंगणी मे रखी गई दौरान सुनवाई वादीगण व प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिली होने के बावजूद हाजिर नही होने से तहसीलदार सिरौही से प्राप्त उक्त बंटवाड प्रस्ताव के आधार पर फाईनल डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये।

अतः उक्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार मौजा नून पटवार हल्का फुंगणी तहसील व जिला सिरौही मे जमाबंदी संवत 2063-2066 के खाता नंबर 288 के खसरा नंबर 763 रकबा 0.9000 हैक्टेयर किस्म चाही 2 लगान 14.40 पैसे जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान की संयुक्त खातेदार की कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

कं.सं.	नाम खातेदार	खसरानंबर	रकबा	किस्म	लगान
1-	मेती,टिपू पोसु,पंकुशान्ति,संती दुख्तर भीखा सोथी बेवा भीखा सभी जातियान पुरोहित सा.देह खातेदार	क 763	0.45 हेक्टेयर	चाही 2	7-00
		1	0.45 हेक्टेयर	चाही 2	7-00
2-	शम्भूसिंह कल्याणसिंह दलपतसिंह राजुसिंह पि. खेतसिंह 1/12 जाति राजपूत राकेश हिमा कान्ति पि.खीमाराम मु.लक्ष्मी बेवा खीमाराम नाबालिक की वली माता लक्ष्मी बेवा खीमा 1/12 ओटाराम चीनाराम कन्हैयालाल पि. सुरता छगनबेन पुत्री सुरता लसुदेवी पत्नी सुरता हंसा वगता पि. धन्ना 1/8 शंकर काना जामता पि. गलबा 1/8 शान्तिलाल पुत्र हंसाजी 1/12 छगन रमेश प्रकल जगदीश पि.खंगार सजनाबाई पत्नी खंगार 1/6 कपुरा बाबु सोना काना वीसा पि. सवा 1/6 रूपाराम पुत्र पुनमा राकेश हिमा कान्ति पि. खीमाराम मु.लक्ष्मी बेवा खीमाराम ना.बा.वली माता लक्ष्मी बेवा खीमाराम कपुरा बाबु पि. सवा 1/6 राजगर ब्राहाण सा.देह खातेदार रहन-वगता पुत्र धन्ना का हि. एस.बी.बी.जे. कालन्दी	ख 763	0.45 हेक्टेयर	चाही 2	7-00
		1	0.45 हेक्टेयर	चाही 2	7-00

अतः उपरोक्तानुसार कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया जाकर बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अनुमोदित किया जाता है। तहसीलदार सिरौही को उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात/अमल दरामद करने हेतु आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 30-12-2020 को फाईनल डिक्री मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व इस न्यायालय की गोल मुहर से एक टाईप पेपर पर कम्प्युटर टाईप कर अवलोकन के बाद हस्ताक्षर जारी की गई।

(हंसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर
सिरौही (राज०)

